



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2654]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2015/अग्रहायण 19, 1937

No. 2654]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2015/AGRAHAYANA 19, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3340(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

कर्नाटक सरकार की अधिसूचना सं. एफईई 140 एफडब्ल्यू एल 93 तारीख 3.10.2000 के अनुसार अधिसूचित अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य उत्तर कन्नड़ और धारवाड़ जिलों के मुंडगोड तथा कलघाटगी की तालुक की सीमाओं में अवस्थित है और 2.226 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है।

और स्थानीय कृषकों की सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अत्तीवेरी ग्राम में थ्याबंहाला पर 1992 में एक सिंचाई जलाशय बनाया गया था जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न किस्मों के पक्षी और प्रवासी पक्षियों दोनों को आकर्षित करना भी है। पहले वर्ष 20 पक्षियों की प्रजातियों, उसके बाद अगले वर्ष 35 प्रजातियों को देखा गया था। चूंकि जलाशय आस पड़ोस में विपुल पोषणकारी भूभागों वाले शांत तथा अविधुब्ध परिक्षेत्र में आर्द्र पतझड़ी वन के मध्य में अवस्थित है, यह अपनी प्रजनन क्रियाकलापों के लिए यहां आश्रय पाने वाले पक्षियों के लिए स्वर्ग बन गया है।

और इस मानव निर्मित प्राकृतिक वास में 1200 से अधिक पक्षियों के जोड़े प्रजनन करते हुए पाए जाते हैं जिनमें सफेद बुज्जा, बगुला, छोटा जलकौआ, चमचा चोंच, रंगीन चमरखेंच, जैसी कुछ प्रजातियां हैं जो यहां प्रजनन करती हैं और टिटहरी जलमुर्गी पनलुआ, बांकर, भारतीय झबरा आदि जैसे पक्षी सालों साल यहां पाए जाते हैं। सीखपरऔर, गार्गेनी, तिदारी, बटान आदि नवंबर मास से फरवरी मास के बीच प्रजनन के लिए यहां प्रवास करते हैं। मुंडागोड, हलियल और येलापुर ताल्लुकों के सन्निकट क्षेत्रों में बहुत से छोटे और बड़े जलाशय भी पक्षियों के घोंसला, उनको पोषण तथा प्रजनन करने में सहायता करते हैं जो इस प्रकार इस अभयारण्य को एक आदर्श जलीय प्राकृतिक आवास का निर्माण करते हैं।

और अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र की जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट है, पारिस्थितिकी वनस्पति, जीवजंतु, भौगोलिक संगमों या महत्व और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों को उनकी संक्रियाओं और प्रसंस्करणों को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक हो गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य के इर्द गिर्द 1.47 कि.मी. तक के विस्तारित क्षेत्र को अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य की सीमा के इर्द गिर्द पारिस्थितिक संवेदनशील जोन 1.47 कि.मी. तक के साथ 7.63 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ऐसे जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रूप में संलग्न है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची इसके साथ प्रमुख बिंदुओं के निर्देशांकों सहित **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा के ब्यौरे तथा अक्षांश और देशांतर रेखा के साथ-साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के ब्यौरे मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और साथ ही अभयारण्य में मुख्य अवस्थानों (जीपीएस बिंदु) **उपाबंध III**अ के रूप में संलग्न हैं।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना--**(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय लोगों के प्रतिफल और स्थानीय लोगों के परामर्श से और इस अधिसूचना में अनुबंधों का पालन करते हुए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) उक्त योजना का राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन का आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों के और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

(4) आंचलिक महायोजना इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बातों को समाकलित करने के लिए सभी संबंधित राज्य विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा, अर्थात् :-

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) शहरी विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिका ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ; और
- (viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
- (ix) सिंचाई ;
- (x) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना में जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो तब तक अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जाएगा और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना के सुधार और अधिक दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल होने वाले क्रियाकलाप इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्रों कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे पारिस्थितिकी अनुकूल विकास स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया जा सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा

4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 13, 19, 25, 30 और 33 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टेन्ट, काष्ट गृह आदि;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना तथा उनका सद्दृढीकरण और नई सड़कों का संनिर्माण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचय; और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएँ सम्मिलित भी हैं:

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रतीत होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार ठीक की जाएगी और उक्त त्रुटि के ठीक करने की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह भी कि जिससे हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनुपयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक स्रोतों** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं, को प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, कर्नाटक सरकार के वन और पर्यावरण विभाग, के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा;

परंतु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, वास्तु शिल्पीय कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों की पहचान करनी होगी और अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गति आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, राज्य सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गति के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाइयां-** (क) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ उद्योगों की स्थापना विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए अनुज्ञात की जाएगी अन्यथा नहीं ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर जल वायु मृदा और ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन

		होगा ।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन जिसके अंतर्गत नाशकजीवमार और कीटनाशी भी हैं ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना	प्लास्टिक चीजों, लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रहेगा: परंतु यह भी कि विद्यमान आरा मिलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी समाप्ति अवधि पर नहीं किया जाएगा ।
(10)	वायु मिलों तथा मोबाइल टावरों का परिनिर्माण	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(11)	मछली पकड़ना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
		विनियमित क्रियाकलाप
(12)	प्लास्टिक के कैरी बैग, लैमिनेटों और टेट्रापैकों का उपयोग	लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा । प्लास्टिक की वस्तुओं, लैमिनेटों और टेट्रापैकों का निर्माण सर्वदा विनियमित और मानीटर किया जाएगा ।
(13)	होटल और रिसोर्ट की स्थापना	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं: तथापि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक एक कि.मी. से परे सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा ।
(14)	संनिर्माण क्रियाकलाप	(क) संरक्षित क्षेत्रों की एक कि.मी. की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात

		<p>नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी।</p> <p>परंतु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियम यदि कोई हों और विनियमों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।</p> <p>परंतु यह आर कि एक कि.मी. से आगे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।</p>
(15)	वृक्षों की कटाई	<p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।</p> <p>(ग) आरक्षित वनों तथा संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना का अनुसरण किया जाएगा।</p>
(16)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	<p>(क) केवल भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि उपयोग और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा।</p> <p>(ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है।</p> <p>(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा।</p> <p>(घ) किसी स्रोत जल जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।</p>
(17)	विद्युत केबलों, विद्युत केबलों और प्रेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण	<p>(i) भूमिगत केबल बिछाए जाने को प्रोत्साहित करना</p> <p>(ii) घरेलू प्रयोजन के लिए वैद्युत लाइनों के किसी भावी बिछाई जाने के लिए 11 केवी तक भूमि के नीचे होना चाहिए।</p> <p>(iii) 1 केवी से अधिक किसी प्रेषण लाइन के दो टावरों के बीच सैग बिंदु से कम से कम पंद्रह मीटर पर होना चाहिए।</p>
(18)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(19)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
(20)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।

(21)	विदेशी प्रजातियों को लाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(22)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(23)	प्राकृतिक जलाशयों या भू क्षेत्रों में उपचारित बहिःस्रावों का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान	उपचारित बहिःस्रावों के पुनःचक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा और कीचड़ या ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का पालन किया जाएगा।
(24)	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।
(26)	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(27)	वायु और यानीय प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(28)	कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संवर्धित क्रियाकलाप		
(29)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी व्यवसायों के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(30)	वर्षा जल संचयन	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(31)	जैविक खेती	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(32)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(33)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(34)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग	बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- क. उपायुक्त, उत्तर कन्नड़ - अध्यक्ष ;
- ख. पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- ग. शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- घ. पर्यावरण और पारिस्थितिक क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक विशेषज्ञ - सदस्य ;
- ड. गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है जिसे कर्नाटक सरकार सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

च. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कर्नाटक सरकार- सदस्य

छ. वन संरक्षक और निदेशक, डंडेली अंशी, बाघ रिजर्व, डंडेली -सदस्य सचिव;

6. निर्देश का निबंधन :

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन आने वाले ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, और पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध प्रखंड आयुक्त या संबद्ध पार्क उप वन संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव रक्षक को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, होंगे।

[फा. सं. 25/144/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर गरूड होनीहल्ली ग्राम की सीमा सामान्य अंतर ग्राम के संयोजन बिंदु से प्रारम्भ होती है सर्वे सं. 110 , 113,114, कट्टी ग्राम छोटी टैक के निकट सर्वे सं. आस्था और 297 की जाती है इसके बाद यह उसी रिजर्व वन सीमा 96, 97, 100, 101, 102, 111 के साथ उत्तर और उसी ग्राम के भू भाग के सर्वे सं. पहुँचती है 167

पूर्व बिंदु के उपर से सीमा रिजर्व वन सीमा में पूर्व की ओर तक 5 15°35.68" उ पू 7503'11.36", के समान है इसके बाद सीमा बेंदलागट्टी ग्राम एवं वन की रिजर्व वन सीमा के साथ बाहरी रेखा से होते हुए सर्वे सं 4 15° तक उ 85'52.78" उ पू 75°3'51.07", के समान है इसके बाद रेखा प्रवाह के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में उ.4 15° '43.0" उ. पू 75°3'4.53", तक की ओर जाती है इसके बाद रेखा अनवरत दक्षिण की ओर समान रूप के साथ उ.4 15° '28.28" उ. पू 75°3'45.48", तक के बिंदु पहुँचती है इसके बाद रेखा दक्षिण दिशा में समान रूप उ.4 15° '16.05" उ. पू 75°3'43.71", तक बेंदलागट्टी और वाडाघाटा ग्रामों की अंतर ग्राम सीमा से होते हुए जाती है इसके बाद रेखा दक्षिण पश्चिम दिशा में समान रूप से उ. 15° 51.69" उ. पू 75°3'26.78", तक से होते हुए जाती है

दक्षिण बिंदु के उपर से रेखा दक्षिण पश्चिम दिशा में समान रूप से उ.3 15° '38.83" पू 75°3'8.08", तक अग्रसर होती है इसके बाद रेखा पश्चिम की ओर समानरूप से उ.3 15° '34.18" पू 75°2'42.4", तक की ओर जाती है इसके अतिरिक्त रेखा अनवरत समान रूप से उ.3 15° '38.21" पू 75°2'23.64", तक पहुँचती है इसके बाद सीमा जिला उन्तारा कन्नाडा के हुनुगुंडा की रिजर्व वन सीमा के साथ उत्तरी पश्चिम दिशा में यह प्रवाह के साथ पहुँचती है

पश्चिम बिंदु के उपर से यह रेखा कालाघाटागी तालुक सीमा के साथ साथ रिजर्व वन सीमा के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है इसके बाद यह रिजर्व वन सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है और ग्राउड होनीहल्ली ग्राम की सीमा से होते हुए उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है सर्वे सं तक जहाँ से इस बिंदु की रेखा प्रा297 301, 302 ,318,319,311 रंभ होती है वही पहुँचती है।


उपाबंध II

अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन में हासमान ग्रामों की सूची

क्र सं	ग्राम	तालुक	ग्राम जी पी एस के समान	विस्तार हेक्टेयर में
1	आस्थाकट्टी	कालाघाटागी	उ: 15° 05' 38" पू: 75° 03' 09"	139.84
2	बेंदलागट्टी		उ: 15° 05' 54" पू: 75° 04' 12"	173.04
3	नेलीहारावी		उ: 15° 05' 04" पू: 75° 00' 31"	2.11
4	गरूड होनीहल्ली		उ: 15° 04' 57" पू: 75° 00' 59"	103.32
5	हुनागुंडा	मुंडगोड	उ: 15° 03' 36" पू: 75° 01' 11"	332.82
6	अरसीनगेरी		उ: 15° 02' 58" पू: 75° 03' 28"	11.95
योग (हेक्टेयर)				763.08 Or 7.63 वर्ग किलोमीटर

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध IIIअ

अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन की जी.पी.एस. स्थिति

मानचित्र	अक्षांश (दशमलव डिग्री)	देशान्तर (दशमलव डिग्री)
1	15.0864	75.0404
2	15.0932	75.0532
3	15.0813	75.0642
4	15.0745	75.0626
5	15.0711	75.0621
6	15.0644	75.0574
7	15.0608	75.0522
8	15.0595	75.0451
9	15.0606	75.0399
10	15.0703	75.0185
11	15.0854	75.0316

अत्तीवेरी पक्षी अभयारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन की जी.पी.एस. स्थिति

मानचित्र	अक्षांश (दशमलव डिग्री)	देशान्तर (दशमलव डिग्री)
1	15.0864	75.0404
2	15.0812	75.0435
3	15.0744	75.0533
4	15.0686	75.0451
5	15.0729	75.0358
6	15.0803	75.0338

उपाबंध-IV

पारिस्थितिकीय संवेदी जोन मानीटरी समिति — की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक् अनुबंध में उपाबद्ध करें ।

3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है, की प्रास्थिति ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2015

S.O. 3340(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Attiveri Bird Sanctuary notified as per Government of Karnataka Notification no. FEE 140 FWL 93 dated 3/10/2000 and located in the borders of Mundgod and Kalghatgi taluka of Uttar Kannada and Dharwad Districts is spread over an area of 2.226 sq. km.

And whereas, in 1992, an irrigation tank was built across Thayavvanahalla at Attiveri village to cater the irrigation needs of the local farmers, which also resulted in attracting varieties of birds, both local and migratory. The first year witnessed about 20 species of birds, followed by 35 species in the next year. As the reservoir is located in the midst of a moist deciduous forest in a calm and serene locality with abundant feeding grounds in the surroundings, it became a heaven for the birds to seek refuge here for their breeding activities.

And whereas, more than 1200 pairs of birds are found breeding in this man made habitats White Ibis, Herons, little Cormorants, Spoonbills, Painted storks are some of the species, which breed here, birds like Lapwings, Water hen Stilt, Darter, Indian shag, etc. are found throughout the year. Pintails, Gargany, Shoveller, Plovers, etc. Migrate here for breeding between November to February. Many small and big tanks in the adjacent areas of Mundagod, Haliyal and Yellapur taluks also help the birds to nest, feed and breed, thus making up this sanctuary an ideal aquatic habitat.

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Attiveri Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, floral, faunal, geographical associations or importance and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent upto 1.47 kms. around the boundary of Attiveri Bird Sanctuary in the State of Karnataka as the Attiveri Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-(1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 7.63 square kilometres with an extent up to 1.47 kilometres around the boundary of Attiveri Bird Sanctuary and the boundary description of such Zone is appended as **Annexure-I**.

(2) The list of villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-II**.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III**.

(4) Key locations (points) on the Eco-sensitive Zone boundary as well as on the sanctuary are appended as **Annexure- III A**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest;
- (iii) Urban Development;
- (iv) Tourism;
- (v) Municipal;
- (vi) Revenue;
- (vii) Agriculture;
- (viii) Karnataka State Pollution Control Board;
- (ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, need of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 13, 19, 25, 30 and 33 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;
- (ii) widening and strengthening of existing roads;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) rainwater harvesting; and
- (v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State

Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**—(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government of Karnataka.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Attiveri Bird Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of 1 kilometer from the boundary of protected areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-define and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**—All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**—Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**—The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**—The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.** — The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.**— Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908(E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**—The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.**—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units**

(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil and noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**—All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim orders of the Hon'ble Supreme Court dated, 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances including pesticides and insecticides.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further, that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
10.	Erection of wind mills and mobile towers.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Fishing.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
12.	Uses of plastic carry bags, laminates and tetra packs.	Regulated under applicable laws. Disposal of plastic articles laminates and tetra packs shall be strictly regulated and monitored.
13.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
14.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the

		<p>Protected Area:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3:</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any:</p> <p>Provided further that, beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone construction for <i>bone fide</i> local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.</p>
15.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government;</p> <p>(b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.</p> <p>(c) in case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.</p>
16.	Commercial water resources including ground water harvesting.	<p>(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land;</p> <p>(b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority;</p> <p>(c) no sale of surface water or ground water shall be permitted;</p> <p>(d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any sources including agriculture.</p>
17.	Erection of electrical cables, transmission lines and telecommunication towers.	<p>(i) Promote underground cabling.</p> <p>(ii) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11KV has to be done underground.</p> <p>(iii) For any transmission line more than 11KV the “sag” point between the two towers should be at safe distance from the ground.</p>
18.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.

19.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
21.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
22.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
23.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area and disposal of solid waste.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
24.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
25.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
26.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
27.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
28.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted.

5. Monitoring Committee:-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Karnataka, which shall comprise of the following namely:-

- | | |
|---|--------------------|
| a. Deputy Commissioner, Uttar Kannada. | - Chairman; |
| b. Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka. | - Member; |
| c. Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka | - Member; |
| d. An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Karnataka for a term of one year in each case. | - Member; |
| e. A representative of NGO working in the field of environment to be nominated by the Government of Karnataka for a term of one year. | -Member; |
| f. Representative of Karnataka State Pollution Control Board. | - Member; |
| g. The Conservator of Forests and Director, Dandeli-Anshi Tiger Reserve, Dandeli | -Member Secretary. |

6. Terms of Reference:

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
 - (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
 - (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure IV**.
 - (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F. No. 25/144/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I**BOUNDARIES OF ATTIVERI BIRD SANCTUARY**

NORTH: The line starts at a junction point on the common inter village boundary of Garud honihalli village Sy No. 297 and Asthakatti village Sy No. 114 near a small tank, then the line runs in east direction along the reserve forest boundary and borders of SY No 114, 113, 110, 111, 102, 101, 100, 97 & 96 of Villages Asthakatti. Then it runs North along the same reserve forest boundary and reaches the corner of Sy No. 67 of same village.

EAST: From the above point the boundary runs eastwards in the reserve forest boundary till the co-ordinate N 15° 5' 35.68" E 75° 3' 11.36", then the boundary passes along outer line of reserved forest boundary of Bendlagatti village & forest Sy. No. 85 till the co-ordinate N 15° 4' 52.78" E 75° 3' 51.07". Then the line runs in south-west direction along the stream till the co-ordinate N 15° 4' 43.0" E 75° 3' 4.53", then the line continuous southwards to reach the point with co-ordinate N 15° 4' 28.28" E 75° 3' 45.48", then line passes in south direction till the co-ordinate N 15° 4' 16.05" E 75° 3' 43.71" on the inter village boundary of Bendlagatti and Vadaghatta villages. Then line passes in south-west direction till the co-ordinate N 15° 3' 51.69" E 75° 3' 26.78".

SOUTH: From the above point line proceeds in south-west direction till the co-ordinate N 15° 3' 38.83" E 75° 3' 8.08", then the line runs westwards till the co-ordinate N 15° 3' 34.18" E 75° 2' 42.4" further the line continuous till it reaches the co-ordinate N 15° 3' 38.21" E 75° 2' 23.69". Then the boundary runs in north-west direction along the reserve forest boundary of Hunugunda of Uttara kannada district till it reaches a stream.


WEST: From the above point the line runs in west direction along the Kalaghatagi taluk boundary as well as reserve forest boundary. Then it runs North along the reserve forest boundary and turns North-East direction through the borders of Garud honihalli Village Sy. Nos. 318, 319, 311, 302, 301 & 297 till it reaches the point where the line begins.

ANNEXURE-II**LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECOSENSITIVE ZONE OF ATTIVERI BIRD SANCTUARY**

Sl. No.	Village	Taluk	GPS Co-ordinates of the village	Extent in Hectares
1	Asthakatti	Kalaghatagi	N: 15° 05' 38" E: 75° 03' 09"	139.84
2	Bendlagatti		N: 15° 05' 54" E: 75° 04' 12"	173.04
3	Nelliharavi		N: 15° 05' 04" E: 75° 00' 31"	2.11
4	Gurud Honihalli		N: 15° 04' 57" E: 75° 00' 59"	103.32
5	Hunagunda	Mundgod	N: 15° 03' 36" E: 75° 01' 11"	332.82
6	Arsingeri		N: 15° 02' 58" E: 75° 03' 28"	11.95
Total area in Ha.				763.08 Or 7.63 sq.kms

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF ATTIVERI BIRD SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES AND GPS COORDINATES



ANNEXURE-III**KEY LOCATIONS (GPS POINTS) ON THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY OF ATTIVERI BIRD SANCTUARY**

Map id	Latitude (Decimal degree)	Longitude (Decimal degree)
1	15.0864	75.0404
2	15.0932	75.0532
3	15.0813	75.0642
4	15.0745	75.0626
5	15.0711	75.0621
6	15.0644	75.0574
7	15.0608	75.0522
8	15.0595	75.0451
9	15.0606	75.0399
10	15.0703	75.0185
11	15.0854	75.0316

KEY LOCATIONS (GPS POINTS) OF THE SANCTUARY BOUNDARY

Map id	Latitude (Decimal degree)	Longitude (Decimal degree)
1	15.0864	75.0404
2	15.0812	75.0435
3	15.0744	75.0533
4	15.0686	75.0451
5	15.0729	75.0358
6	15.0803	75.0338

ANNEXURE-IV**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.